सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े सब बढ़ें

# कोया (गोण्डी)

## अक्षर ज्ञान-1

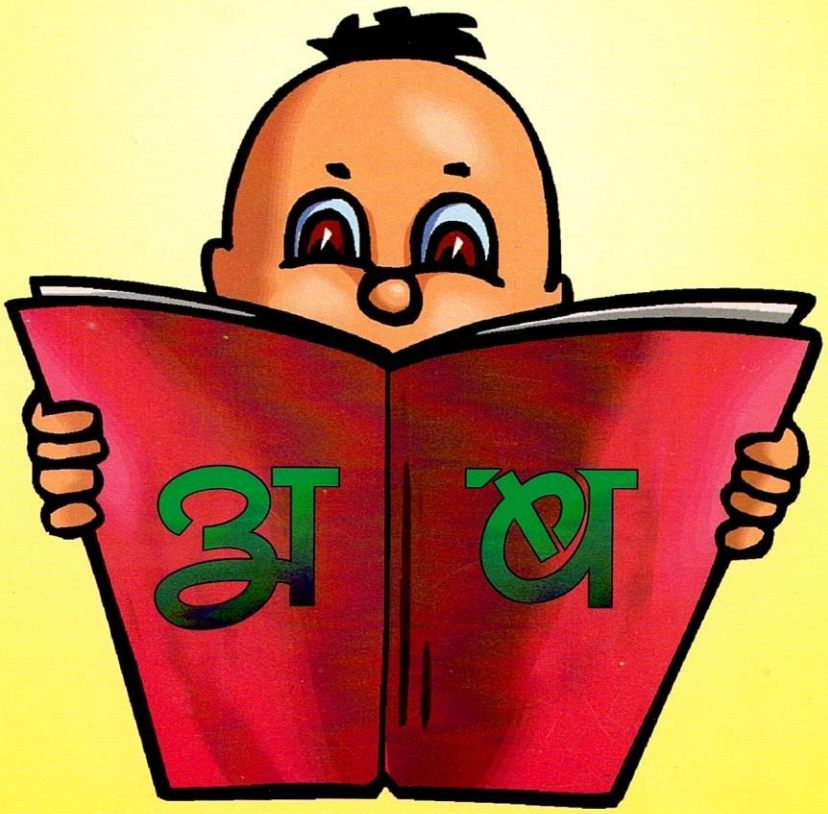


राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.)

## -: दो शब्द :-

अपनी मातृ बोली से मनुष्य का भावनात्मक जुड़ाव होता है इसलिए विद्यालय आने के प्रारंभ दौर में यदि हम बच्चों को उनकी मातृ बोली में शिक्षा दें तो निश्चित रुप से उनका भावनात्मक जुड़ाव विद्यालय से होने लगेगा, साथ ही उनके पारिवारिक परिवेष और विद्यालयीन परिवेष में ज्यादा अन्तर महसूस नहीं होगा । ग्रामीण अंचल के बच्चे जब अपने माता-पिता /अभिभावक को यह बतलायेंगे कि विद्यालय में उनकी मातृबोली के माध्यम से पढ़ाई हो रही है तो नवसाक्षर तथा कम पढ़े-लिखे अभिभावक भी अपने छोटे बच्चों की पढ़ाई में शामिल होकर कुछ जानना और सीखना चाहेंगे साथ ही अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे सकेंगे एवं बच्चों के शिक्षा के प्रति उनमें भी ललक जागृत होगी । इसी के मद्देनजर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों के लिए क्षेत्रीय गोण्डी बोली में वर्णमाला चार्ट एवं छोटी-छोटी चित्रमय पुस्तकें तैयार की गई है । यह पाठ्य सामग्री बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ।

**नीरज कुमार बनसोड़** (आई.ए.एस.)
जिला परियोजना संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

**ओ.पी. चौधरी** (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं मिशन लीडर
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

-: लेखक :-

दादा जोकाल

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

अ अर्र

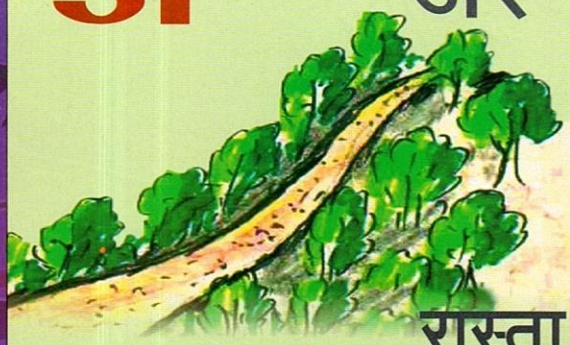

रास्ता

आ आक

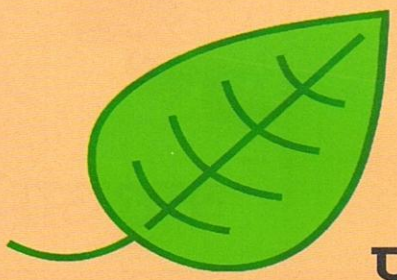

पत्ता

इ इत्ता

इमली

ई ईरु

महुआ

उ उप्पे

चूहा

ऊ ऊत

बटेर

ए एमुल

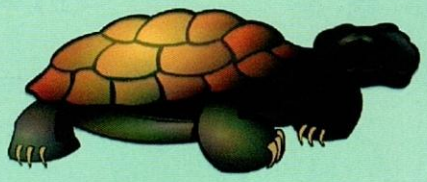

कछुआ

ऐ ऐब्बेर

चिक

ओ ओडा

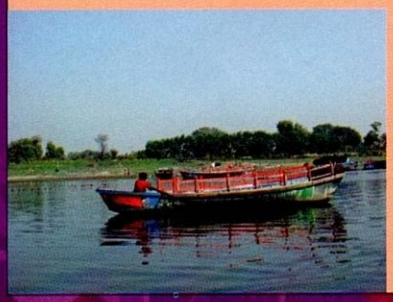

नाव

औ औकमा

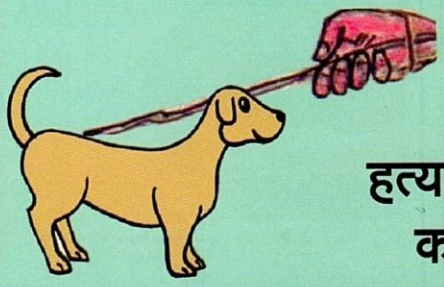

हत्या मत करो

क कसला

लोटा

ग गड़बम

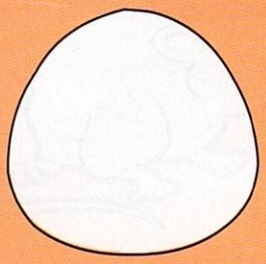

अण्डा

च कुच्चऽ

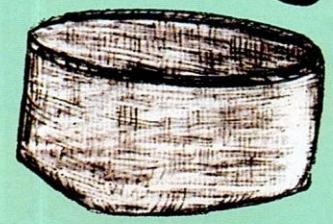

टोकनी

ज जत्तऽ

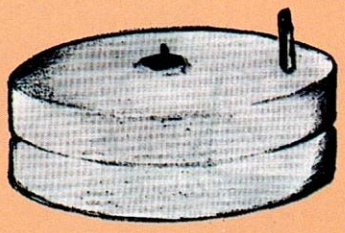

चक्की

ट टक्का

गुटली

ड डब्बा

संतरा

ड़ माड़ाम

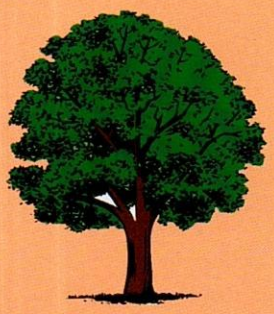

पेड़

त तल्लऽ

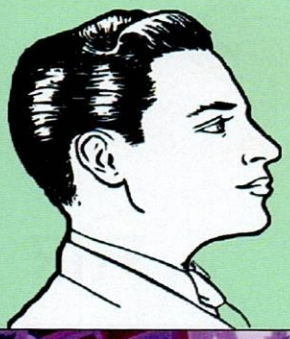

सिर

द दड़म

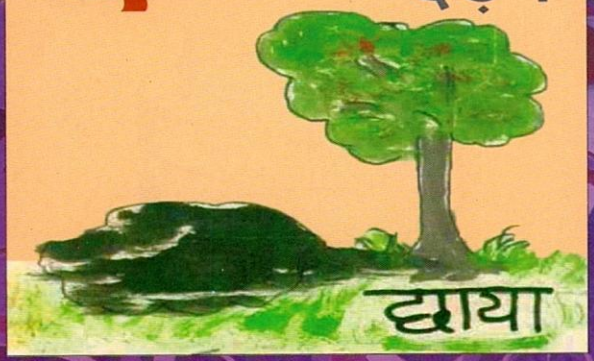


न नय

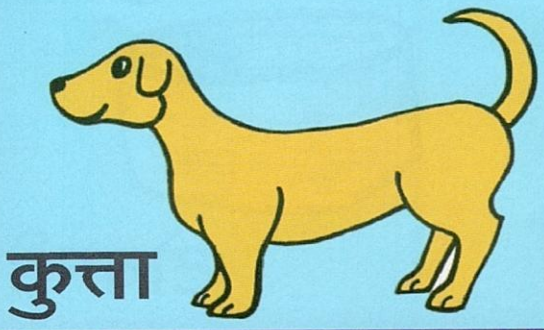


प पद

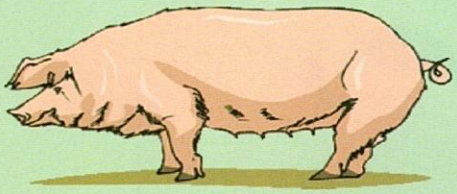

सुअर

ब बर्रे

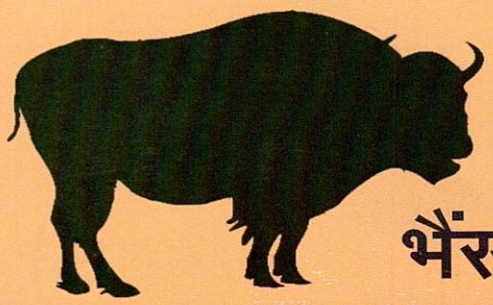

भैंस

म मलऽ

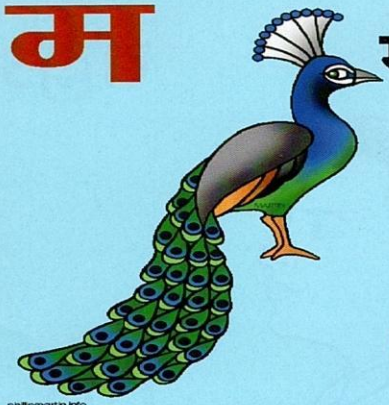


मोर

य यायो

मां

ऱ रान

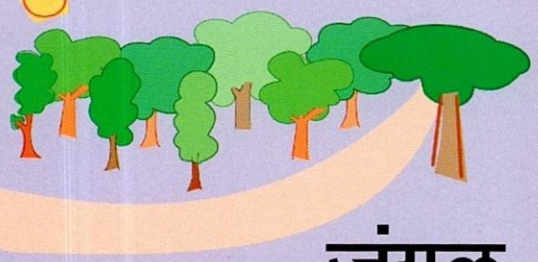

जंगल

ल लेंज

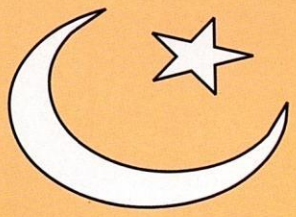

चन्द्रमा

व वंगऽ

टमाटर

स सातऽ

छाता

ह पहना मिड़ियाम

हरी मिर्च

# राजीव गांधी शिक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े सब बढ़ें

# विभाग की योजनाएं

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े सब बढ़ें

## छात्र-छात्राओं के लिए लाभप्रद योजनाएं

- जिलें के 6 से 14 आयु समूह के समस्त बच्चें को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।
- जिलें के 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
- समस्त प्रवेशित बच्चों को स्कूल में निरन्तर बनाए रखना।
- लिंगभेद पूर्ण रुपेण दूर करते हुए सभी को शिक्षा प्रदाय करना।
- गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना।

## शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं

- 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चें को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होते तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- शाला अप्रवेशी/शालात्यागी बच्चों को आयु अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश एवं अन्य बच्चों के समकक्ष आने हेतु विशेष प्रशिक्षण की सुविधा।
- आर्थिक रुप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण।
- किसी बच्चें के आयु सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश।
- शिक्षा में गुणवत्ता।

## नई शालाएं : सभी तक पहुंच

- शिक्षा की पहुंच प्रत्येक तक सुनिश्चित करने हेतु हर 01 कि.मी. पर प्राथमिक शाला की सुविधा एवं 03 कि.मी. पर उच्च प्राथमिक शाला की सुविधा ।
- जिलें मे मिशन द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं की संख्या- 1123 एवं उच्च प्राथमिक शालाओं की संख्या- 766
- शाला अप्रवेशी/शालात्यागी बच्चों हेतु वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के तहत् विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
- विशेष प्रशिक्षण आवासीय-102 एवं गैर आवासीय केन्द्र की संख्या - 48

## शालाओं का दी जाने वाली विभिन्न अनुदान

- प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं को शाला अनुदान रु. 5000
- प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक अनुदान रु. 500 प्रति शिक्षक प्रति वर्ष ।
- मरम्मत/रख रखाव अनुदान रु. 5000 प्रतिशाला प्रति वर्ष ।
- नई प्राथमिक शालाओं हेतु रू. 10000 एवं उच्च प्राथमिक शालाओं को रू. 50000 परियोजना अवधि में एक बार टी.एल.ई. अनुदान ।
- शाला की प्रत्येक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना

## शिक्षक : नियुक्ति एवं क्षमता विकास

- प्रत्येक प्राथमिक शाला में 02 शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की सुविधा, प्रत्येक उच्च प्राथमिक शाला में 03 शिक्षाकर्मी वर्ग 2 की सुविधा एवं प्रत्येक 40 शिक्षकों पर 1 अतिरिक्त शिक्षक की सुविधा

**शिक्षक प्रशिक्षण**

- प्रत्येक शिक्षक को 20 दिवसीय प्रशिक्षण, अप्रशिक्षित शिक्षकों को 60 दिवसीय प्रशिक्षण ।
- नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण

## निर्माण कार्य : सुविधायुक्त शाला भवन

- नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला में शाला भवन निर्माण।
- बच्चों के अनुपात में अतिरिक्त कक्ष निर्माण ।
- संकुल स्रोत केन्द्र भवन, डॉरमेटरी भवन।
- 1200 शालाओं में विद्युतिकरण एवं शौचालय निर्माण।
- जर्जर शालाओं मे विशेष मरम्मत ।
- कुल 7570 शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत ।
- बाधारहित वातावरण हेतु शालाओं में रैम्प एवं हैण्डरेल ।

## कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सहेली शाला

- अप्रवेशी एवं शालात्यागी एवं अधिक उम्र की बालिकाओं, गरीबी रेखा से नीचे परिवार की बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय योजना ।
- बालिकाओं हेतु निःशुल्क उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा, जीवन उपयोगी व्यवसायिक प्रशिक्षण, निःशुल्क आवास, भोजन, गणवेश, खेल एवं पाठ्य सामग्री आदि का प्रावधान।
- बकावण्ड विकासखण्ड में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है जिसमें 1200 छात्राएं अध्ययनरत् है।
- विकासखण्डों को संकुलों में सहेली शाला का संचालन एवं मीना मंच का गठन ।

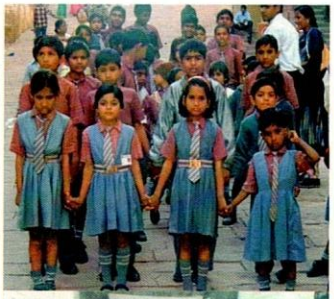

## समावेशी शिक्षा (निःशक्त बच्चों के लिय शिक्षा)

- निःशक्त बच्चों को सामान्य कक्षाओं में सामान्य विधार्थियों के साथ समावेशन। निःशक्त बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षक प्रशिक्षण जैसे ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराना। समय-समय पर पर आवश्यकता निर्धारण शिविर एवं निःशक्तता आंकलन करना ।
- विकासखण्ड में एक फिजियोथेरेपी केन्द्र की स्थापना।
- 780 से अधिक बच्चों को सहायक सामग्री (व्हील चेयर,ट्रायसायकिल,बैसाखी) प्रदत्त।

**ज्ञान से एकता पैदा होती है और अज्ञान से संकट।**

**उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको नहीं।**